2

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
23/10/2021	

पत्रावली आज प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 के तहत केम्प कोर्ट आकल मे पेश हुई। मौके पर तहसीलदार नवलगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट अनुसार आकल की जमाबन्दी सवत् 2043-2046 मे प्रार्थी का नाम जयसिंह पुत्र उगम सिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज था। लेकीन जमाबन्दी चौसाला 2047-50 बनाते समय प्रार्थी का नाम जमनसिंह पुत्र उगम सिंह कौम राजपूत कर दिया गया जो की अशुद्ध है। अतः प्रार्थी का सही नाम जयसिंह उगम सिंह जाति राजपूत किया जाना उचित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर बैंक के पक्ष मे रहननामा निरस्त करने हेतु प्रमाणपत्र लगा हुआ है।

प्रकरण के अवलोकन करने तथा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश। निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:31 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादी स्वीकार कि[illegible] डिक्री किया जाता है। वाद [illegible] चाहत अनुतोष अनुसार स्वीकार किया जाता है। वाद [illegible] निर्णय का भाग होगा। डिक्री पृथक से जारि की जावे। निर्णय व डिक्री रजिस्ट्रार कोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ मुताबिक निर्णय व डिक्री रजिस्ट्रार कोर्ट मे दुरुस्ति व अमल दरामद करे। पत्रावली फैसलशुदा हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

सुमन सोलंकी RAS
शिविर प्रभारी
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021, पंचायत
[illegible] नवलगढ़

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत ......घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा सं0:–71/21 (......भंवरकंवर वगैरा......वगै0 बनाम ......राज0 सरकार वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 23/10/21...... निर्णयानुसार ~~सजस्व ग्राम~~ उक्त वादवाडी मुताबिक वाद पत्र चाहे गये अनुतोष अनुसार स्वीकार किया जाता है। वादपत्र निर्णय का भाग रहेगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

जन............–................ मुबलिग............–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 23....माह ....10 सन 2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4 .00	स्टाम्प अर्जी दावा	.00
वकालतनामा स्टाम्प	2 .00	स्टाम्प वकालतनामा	.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2 .00	मुतफरिक मिजान	.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:31 IST
Reason: SelfAttested

5

Reader जांच कर रिपोर्ट करें। 25/8/21

न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय,
नवलगढ।

1— भंवर कंवर पत्नी जयसिंह उम्र 81 वर्ष
2— अनोप कंवर पत्नी शंभूसिंह उम्र 55 वर्ष
3— कुलदीप सिंह पुत्र शंभूसिंह उम्र 35 वर्ष
4— हेमलता पुत्री शंभूसिंह उम्र 33 वर्ष
5— संदीप सिंह पुत्र शंभूसिंह उम्र 29 वर्ष
6— किरण पुत्री जयसिंह उम्र 57 वर्ष
7— विनोद सिंह पुत्र जयसिंह उम्र 53 वर्ष
8— प्रमोद सिंह पुत्र जयसिंह उम्र 50 वर्ष
9— योगेन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह उम्र 45 वर्ष

जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0) मोबाईल नम्बर 9887403181

———वादीगण

बनाम

1— राजस्थान—सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

2— प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुख्य बाजार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

———प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

महोदय,

वाद वादीगण निचे लिखे अनुसार पेश है:—

(1) यह कि राजस्व ग्राम जाखल की सरहद मे भूमि हाल खसरा नम्बर 33 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 36 रकबा 2.09 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.84 हैक्टर स्थित है, जिसका पहले खातेदार वादीगण का पिता/पति स्व0 जयसिंह पुत्र उगमसिंह थे, जिनका दिनांक 11.01.2012 को देहान्त हो चुका है, जिनकी वंशावली निम्न प्रकार है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:31 IST
Reason: SelfAttested

जयसिंह

भंवर कंवर पत्नी | शंभूसिंह पुत्र(फौत) | किरण पुत्री | विनोद पुत्र | प्रमोद सिंह पुत्र | योगेन्द्रसिंह पुत्र

शंभूसिंह →

अनोप कंवर पत्नी | कुलदीप सिंह पुत्र | हेमलता पुत्री | संदीपसिंह पुत्र

(2) यह कि वादीगण के पूर्वज जयसिंह पुत्र उगमसिंह का पहले राजस्व रिकार्ड मे सही नाम जयसिंह पुत्र उगमसिंह ही दर्ज था परन्तु राजस्व अधिकारियो ने सम्वत 2047 से 2050 की जमाबन्दी बनाये जाने के दौरान वादीगण के पिता/पति का नाम जयसिंह पुत्र उगमसिंह के स्थान पर जमनसिंह पुत्र उगमसिंह दर्ज कर दिया, जो आगे भी गलत ही चलता रहा, जिसकी वादीगण को पहले कोई जानकारी नही थी। वादीगण के पिता/पति की मृत्यु के पश्चात अपनी विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिये वांछित दस्तावेजात पटवारी हल्का को दिये थे, परन्तु वादीगण के पहचान के दस्तावेजात मे वादीगण के पिता/पति का सही व वास्तविक नाम जयसिंह दर्ज होने व राजस्व रिकार्ड मे जयसिंह के स्थान पर जमनसिंह दर्ज होने के कारण वादीगण का विरासतन नामान्तकरण दर्ज नही किया जा सका, जिस पर रिकार्ड मे दुरूस्ती करवाने के लिये तहसीलदार, नवलगढ के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस पर भी कोई कार्यवाही नही की गई। वादीगण स्व0 जयसिंह पुत्र उगमसिंह के विधिक वारिस है तथा वादीगण के पिता/पति का वास्तविक व सही नाम जयसिंह पुत्र उगमसिंह ही है। जमनसिंह पुत्र उगमसिंह नाम का कोई भी भी व्यक्ति जाखल ग्राम मे नही हुआ है। इसलिये उक्त भूमि मे जमनसिंह पुत्र उगमसिंह के स्थान पर जयसिंह पुत्र उगमसिंह दुरूस्त किया जाकर मृतक स्व0 श्री जयसिंह के वारिसान वादीगण को उक्त भूमि के 1/6, 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना कानूनन व न्यायहित मे आवश्यक है, जिसके लिये मौजूदा दावा बाबत घोषणार्थ का पेश किया जा रहा है।

(3) यह कि राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के पिता/पति का नाम गलत रूप से जमनसिंह दर्ज हो गया, जो आगे भी जमनसिंह ही चलता रहा। उक्त गलती कायम रहने से वादीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा रिकार्ड गलत रहने से वादीगण कभी भी अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित हो सकते है तथा गलत रिकार्ड के कारण वादीगण का विरासतन नामान्तकरण भी दर्ज नही हो पा रहा हैं, जिसके कारण वादीगण अपने खातेदारी अधिकारो की भूमि पर सरकारी सुविधा प्राप्त कर अपनी भूमि का विकास भी नही कर [illegible] रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड के खातेदारी [illegible] मे [illegible] 1/6 हिस्से के अनुसार वादीगण का नाम [illegible] रिकार्ड का दावा पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:31 IST
Reason: SelfAttested

(4) यह कि उक्त भूमि पर पहले वादीगण के पिता/पति का भूमि को रहन रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ था, जिसको वादीगण ने दिनांक 15.09.2018

V.K.L

को जमा करवा दिया था तथा बैंक ने उक्त दिनांक को ही अपना अनापति प्रमाण–पत्र जारी कर दिया था, जो असल अनापति प्रमाण–पत्र वादीगण ने बैंक का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ करवाने के लिये पटवारी हल्का को दे दिया था, परन्तु पटवारी हल्का ने आज तक भूमि को रहनमुक्त दर्ज नही की गई, इसलिये प्रतिवादी नं0 2 के रूप मे बैंक को पक्षकार नियोजित किया गया है। बैंक का सम्पूर्ण ऋण अदा कर दिया गया है, इसलिये बैंक का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाना न्यायोचित है, जिसके लिये दावा पेश किया जा रहा है।

(5) यह कि सम्पूर्ण भूमि का स्वामी राजस्थान सरकार होने से घोषणा के दावे के लिये आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार दावा संयोजित किया गया है ताकि दावे मे आइन्दा कोई नुक्स नही रहे।

(6) यह कि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा के लिये गलत रिकार्ड बनाये जाने के रोज, गलत रिकार्ड की जानकारी होने के रोज व दिनांक 06.10.2020 को नकल प्राप्त होने के रोज न्यायालय के अधिकार क्षैत्र मे पैदा हुआ।

(7) यह कि फरीकेन दावा व भूमि न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे स्थित होने के कारण न्यायालय हाजा को वाद की सुनवाई का पूर्ण क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

(8) यह कि दावा हाजा के लिये कोर्ट फीस 4/– रूपये होती है। अतः दावा पूर्ण कोर्ट फीस के साथ पेश है।

(9) यह कि वाद वादीगण अन्दर मियाद पेश है।

(10) अतः वाद वादीगण द्वितीय प्रति मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि:–

(क) ग्राम जाखल की सरहद मे स्थित भूमि खाता संख्या नया 155 की भूमि खसरा नम्बर 33 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 36 रकबा 2.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.84 हैक्टर के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी नं0 1, 1/6 हिस्से के खातेदार [illegible] संख्या 2 लगायत 5, 1/6 हिस्से के खा[illegible] 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादी नं0 7, 1/6 हिस्से [illegible] खातेदार काश्तकार वादी नं0 8 व 1/6 हिस्से के खातेदार का[illegible]कार वादी नं0 9 है तथा इसी अनुसार राजस्व मे दर्ज करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:31 IST
Reason: SelfAttested

(ख) उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से जमनसिंह पुत्र उगमसिंह का नाम हटाया जाकर उक्त हिस्सो के अनुसार वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा भूमि का रहन का नोट हटाया जाकर रहनमुक्त दर्ज की जावे।

(ग) अन्य सिद्धि जो वादीगण के पक्ष मे पड़ती हो और चाही जाने से रह गई हो, वह भी वादीगण को दिलाई जावे।

(घ) हर्जा खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

दिनांकः 25.8.2021

प्रार्थीगण

1– भंवर कंवर पत्नी जयसिंह उम्र 81 वर्ष

2– अनोप कंवर पत्नी शंभूसिंह उम्र 55 वर्ष

3– कुलदीप सिंह पुत्र शंभूसिंह उम्र 35 वर्ष

4– हेमलता पुत्री शंभूसिंह उम्र 33 वर्ष

5– संदीप सिंह पुत्र शंभूसिंह उम्र 29 वर्ष

6– किरण पुत्री जयसिंह उम्र 57 वर्ष

7– विनोद सिंह पुत्र जयसिंह उम्र 53 वर्ष

8– प्रमोद सिंह पुत्र जयसिंह उम्र 50 वर्ष

9– योगेन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह उम्र 45 वर्ष

जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

तस्दीक

मै, विनोद सिंह पुत्र जयसिंह उम्र 53 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आज बमुकाम नवलगढ शपथपूर्वक तस्दीक करता हूं कि वाद–पत्र मे दर्ज मद संख्या 1 लगायत अन्तिम मेरी स्वयं की जानकारी मे व मेरे कानूनी सलाहकार की सलाह से सही व सत्य होना स्वीकार करता हूं।

दिनांकः 25.8.2021

V.K.S.

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:31 IST
Reason: SelfAttested

V.K.S.